संख्या-160/2024/1936/22-2-2023-17(380)/2017

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतवीर पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-14368/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 02.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतवीर पुत्र श्री अजब सिंह, ग्राम-ठीकुरा, थाना-फतेहाबाद, जनपद-आगरा का निवासी है। बन्दी द्वारा खेत में चराई कराने के विवाद को लेकर दिनांक 17.05.1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा व लाठी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-636/1980 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, आगरा के आदेश दिनांक 15.12.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.03.2016 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.2023 तक 06 वर्ष 09 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 11 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- दयायाचिका समिति की बैठक दिनांक 31.03.2023 में जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 82 वर्ष से अधिक आयु, संतोषजनक जेल आचरण, बन्दी की वृद्धावस्था तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतवीर (बन्दी संख्या-16660) पुत्र श्री अजब सिंह, निवासी जनपद-आगरा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-160/2024/1936(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को योजित क्रिमिनल मिस रिट याचिका संख्या-20431/2022 अतवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश 22.04.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।